# संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
## विजयाराजे वात्सल्य भवन 28 ए अरेरा हिल्स भोपाल

दूरभाष : 0755-2550909, 2550918 फैक्स 0755-2550912
Email-icpsbhopal@gmail.com, www.mpwcd.nic.in

क्रमांक/मबावि/25/MV-2/403 भोपाल 18 मई 2026

# विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन 2021) की धारा 4 के तहत् गठित किशोर न्याय बोर्ड एवं धारा 27 के तहत् गठित बाल कल्याण समिति में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:

| क्र | जिले का नाम | किशोर न्याय बोर्ड में रिक्तियों की संख्या | बाल कल्याण समिति में रिक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | अनूपपुर | 01 सदस्य पद | - |
| 2 | भिण्ड | 01 सदस्य पद (महिला) | - |
| 3 | मंदसौर | 01 सदस्य पद | - |
| 4 | श्योपुर | 02 सदस्य पद (जिसमें से एक महिला) | - |
| 5 | धार | - | 01 सदस्य पद (महिला) |
| 6 | डिण्डोरी | - | 01 सदस्य पद |
| 7 | गुना | - | अध्यक्ष पद |
| 8 | मुरैना | - | 01 सदस्य पद |
| 9 | नीमच | - | 01 सदस्य पद |
| 10 | उमरिया | - | 01 सदस्य पद |
| 11 | सीहोर | - | 02 सदस्य पद |
| 12 | टीकमगढ़ | - | अध्यक्ष पद |
| 13 | शाजापुर | - | 01 सदस्य पद |

1. किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के पद हेतु अर्हताएं:
   (I) किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी और पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।
   (II) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताएँ-किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापो में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षों का अनुभव हो अथवा जो बाल मनोविज्ञान (child psychology) या बाल मनोचिकित्सा (child psychiatry) या समाज विज्ञान (sociology) या विधि क्षेत्र (Law) में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

(2) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए अर्हताए :
   (I) बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को पैंतीस वर्ष से अधिक आयु के होंगे किन्तु पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे।
   (II) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताएँ- बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो (actively involved) अथवा जो बाल मनोविज्ञान (child psychology) या बाल मनोचिकित्सा (child psychiatry) या कानून (Law) या सामाजिक कार्य (social work) या समाजशास्त्र (sociology) या मानव विकास (Human development) या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा (special education) डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के पद हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आयुक्त महिला एवं बाल विकास कार्यालय, विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में दिनांक 03 जून 2026 तक कार्यालीन समय मे स्वयं जमा किये जा सकते हे अथवा पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जा सकते हे। अंतिम दिनांक 01 जून 2026 पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों को मान्य नही किया जायेगा। आवेदन प्रारूप, पात्रता, अपात्रता, शर्ते एवं रिक् त पदों की पूर्ति के संबध में अन्य दिशा-निर्देश की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.mpwcdmis.gov.in के निर्देश मेन्यु में उपलब्ध हे।

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश

जी-13254/26

More From Front Page